



## पूर्व तट रेलवे/EAST COAST RAILWAY

मुख्य कार्मिक अधिकारी का कार्यालय/  
Office of the Chief Personnel Officer  
रेल सदन, द्वितीय तल, भुवनेश्वर- 751 017  
Rail Sadan, IInd Floor, Bhubaneswar-751 017

स्थापना क्रमांक/ Estt. Srl. No. 42/2016  
पूतरे/कार्मिक/आर/ ECoR/ Pers/R/QTR-32

**RBE No.39/2016**  
दिनांक/Date: 06.05.2016

सेवा मे,

सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों/समन्वयक विभागाध्यक्षों, पू त रे/भुवनेश्वर  
मं.रे.प्र/व.मं.का.अधिकारी/मं.का.अधिकारी-खोरधारोड,वालातेरु, संबलपुर,  
मु;कारखाना प्रबंधक/कारखाना कार्मिक अधिकारी- मंचेश्वर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार/रेल दावा अधिकरण,  
व.का अधिकारी(नि)/भुवनेश्वर  
महा सचिव/इकोर श्र. कां., महा सचिव/इकोर श्र. यू.,  
महा सचिव/एआई ओ बी सी आर ई ए, महा सचिव/ ए आई एस सी एस टी आर ई ए

**Retention of Railway accommodation post retirement by railway employees  
retired on grounds of total medical incapacitation**

पूतरे के विषय क्रमांक/ECoR's Subject Serial No.QTR-3/2016

\*\*\*\*\*

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड पत्र सं E(G)2012QR-1-7 दिनांक 25.04.2016 की प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अरोषित है।

A copy of the Board's letter No. E(G)2012QR-1-7 dated 25.04.2016 on the above quoted subject is forwarded herewith for information, guidance and necessary action.

संलग्न/Encl: यथोक्त/As above,

(M. Ganga Bhavani)  
Dy. Chief Personnel Officer(IR&W)  
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी  
For Chief Personnel Officer

प्रतिलिपि प्रेषित/Copy to : महाप्रबंधक के सचिव/पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर

- 1) मुकाधि/मुकाधि(प्रशा.), उप म.प्र. अध्यक्ष(रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ)
- 2) उप मुख्य प्रबंधक(सू.प्रौ), उप मुकाधि(औ.सं.एवं कल्याण), वकाधि(इंजी.)
- 3) वकाधि(मुख्या.), वकाधि(स्टाफ), वकाधि(राज. एवं न्याया.)मुकाधि के निजी सचिव/सहा.कार्मिक अधि.(मुख्या.-1),सहा.कार्मिक अधि.(कल्याण)

8/c  
15

15

16

RBE No. 39 /2016.

**GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)  
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)  
RAILWAY BOARD**

New Delhi, Dated: 25-04-2016


NO.E (G) 2012 QR-1-7

The General Managers,  
All Indian Railways/Production Units,  
(As per standard list).

Sub: Retention of Railway accommodation post retirement by Railway employees retired on grounds of total medical incapacitation.

The demand raised by AIRF in the PNM Forum (item No.29/2011) to allow post retirement retention of Railway accommodation for a period upto 2 years, to those Railway employees who are retired on ground of total medical incapacitation and in whose cases compassionate appointment of any of their family members is in process, had been under consideration of the Railway Board.

2. In this regard, Railway Board, in exercise of its powers to make reasonable relaxation in public interest in all or any of the existing provisions regarding allotment/retention of Railway accommodation and charging of rent therefor for a class/group of employees, in partial modification of provisions contained in Para 5 of Board's letter No.E(G) 2000 QR 1-23 dated 01.06.2001, have now decided that Railway employees who are retired on grounds of total medical incapacitation and in whose cases compassionate appointment of any of their family members is in process, may be allowed retention of Railway accommodation for the maximum period upto 2 years on normal rent from the date of retirement.
3. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.
4. Please acknowledge receipt.

  
(Sanjay Gauri)  
Dy. Dir./Estt.(Genl.)-II

New Delhi, Dated: 25-04-2016

NO.E (G) 2012 QR-1-7

1. FA & CAO, All Indian Railways and Production Units.
2. Joint Director (Finance), RDSO, Lucknow.
3. Deputy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No:224, Rail Bhawan, New Delhi.(with 46 spares).

  
FOR FINANCIAL COMMISSIONER/RAILWAYS.

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
रेलवे बोर्ड

सं. ई(जी)2012 क्यूआर-1-7

नई दिल्ली, दिनांक 25.04.2016

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां,  
(मानक सूची के अनुसार)


विषय: संपूर्ण चिकित्सा अक्षमता के आधार पर सेवानिवृत्त हुए रेल कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद रेलवे आवास अपने पास रखना।

उन रेल कर्मचारियों जो संपूर्ण चिकित्सा अक्षमता के आधार पर सेवानिवृत्त हुए हों और जिनके मामले में उनके परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया चल रही हो, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद दो वर्ष तक रेलवे आवास अपने पास रखने की अनुमति देने के लिए एआईआरएफ द्वारा पीएनएम फोरम में की गई मांग पर रेलवे बोर्ड द्वारा विचार किया गया है।

2. इस संबंध में, रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों की किसी श्रेणी/ग्रुप के लिए रेलवे आवास आबंटित करने/अपने पास बनाए रखने और उसके लिए किराया लगाने से संबंधित सभी अथवा किसी मौजूदा प्रावधान में जनहित में उपयुक्त छूट देने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड के दिनांक 01.06.2001 के पत्र सं. ई(जी) 2000 क्यूआर 1-23 के पैरा 5 में निहित प्रावधानों में आंशिक संशोधन करते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि उन रेल कर्मचारियों जो संपूर्ण चिकित्सा अक्षमता के आधार पर सेवानिवृत्त हुए हों और जिनके मामले में अनुकंपा के आधार पर उनके किसी परिवार के सदस्य को नियुक्ति देने की प्रक्रिया चल रही है, उन्हें सेवानिवृत्ति की तारीख से अधिकतम 2 वर्षों तक सामान्य किराए पर रेलवे आवास अपने पास रखने की अनुमति दी जाए।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

4. कृपया पावती दें।




(संजय गौरी)

उप निदेशक/स्था.(सा.)-II

सं. ई(जी)2012 क्यूआर-1-7

नई दिल्ली, दिनांक 25.04.2016

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां।
2. संयुक्त निदेशक (वित्त), अअमासं, लखनऊ।
3. भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं 224, रेल भवन, नई दिल्ली (46 अतिरिक्त प्रतियां सहित)।



कृते वित्त आयुक्त/रेलें